ायालय उपखण्ड अधिकारी,नैनवॉ जिला बून्दी(राज0)

ेना–पत्र संख्या :–274 / 2023 दायर दिनांकः 25.10.2023

SCMS NO:- 2023/422 पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती प्रीति मीणा

1. फकीर मोहम्मद आ. जुम्मा जाति मुसलमान नि0 जरखोदा।
2. चम्पा पत्नी हुसैन मोहम्मद जाति मुसलमान नि0 जरखोदा।
3. रेशमा पुत्री हुसैन मोहम्मद जाति मुसलमान नि0 जरखोदा।
4. सीमा पुत्री हुसैन मोहम्मद जाति मुसलमान नि0 जरखोदा।

प्रार्थीगण

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब नैनवॉ।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्रः– अंतर्गत धारा 111,128 एल आर एक्ट

उपस्थितिः–

प्रार्थीगण की ओर से अभिभाषक श्री रामबाबू शर्मा।

निर्णय दिनांक 27.05.2025

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का कथन इस प्रकार है कि ग्राम जरखोदा मे खसरा नम्बर 1365 रकबा 1.99041 हैक्टयर भूमि स्थित है जिस पर प्रार्थीगण संयुक्त खातेदार कृषक काबिज काश्त है।

यह कि उक्त भूमि की सीमाबंदी को लेकर पडोसी माप चोक नही होने से रात्री मे गुपचुप मेरे तोड देते है। प्रार्थीगण इस जमीन का माप चौप करवाकर पत्थरगढी कराना चाहता है। प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में नकल जमाबन्दी व नक्शा पेश कर अन्तर्गत धारा 111, 128 एलआर एक्ट के तहत् पत्थरगढी करवाये जाने का आदेश प्रदान करने का निवेदन किया। पत्रावली दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया तथा पाया कि उक्त प्रकरण को चलते लगभग 1 वर्ष से अधिक का समय हो चुका है तथा यह एक समरी ट्रायल है एवं तहसीलदार नैनवॉ की आदिनांक तक रिपोर्ट अप्राप्त है अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार नैनवॉ को आदेशित किया जाता है कि प्रार्थीगण की ग्राम जरखोदा मे खसरा नम्बर 1365 रकबा 1.99041 हैक्टयर भूमि पर यदि प्रार्थीगण का कब्जा पाया जाता है तो नायब तहसीलदार अथवा भू–अभिलेख निरीक्षक स्तर के अधिकारी की टीम गठित कर व आवश्यक हो तो पुलिस इमदाद प्राप्त कर नियमानुसार शुल्क राजकोष में जमा करने पर पत्थरगढी किये जाने के आदेश दिये जाते है।

निर्णय आज दिनांक 27.5.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड़ अधिकारी
नैंनवॉं